


कार्यालय :- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला परिवार कल्याण ब्यूरो,
प० सिंहभूम चाईबासा।

सूचना


सरकार के उप सचिव, स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 160 (16) स्वास्थ्य राँची दिनांक 19.10.2016 के निर्देशानुसार एतद् द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत फुटपाथ हॉकर/खुदरा विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट, केन्टीन (स्कूल, कालेज, कार्यालय एवं अन्य संस्थान), अस्पताल केटरींग संचालनकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि तेल, डालडा से बने खाद्य पदार्थ तैयार करने हेतु एक ही तेल/डालडा का बार बार उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बार-बार उपयोग किये गये तेल/डालडा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं एवं इससे कैंसर हो सकता है। औचक निरीक्षण के दौरान जाँच के क्रम में दोषी पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


अभिहित अधिकारी

—सह—

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
जिला परिवार कल्याण ब्यूरो,
प० सिंहभूम चाईबासा।

- ज्ञापांक :-193..... / चाईबासा, दिनांक :- 08/11/16
- प्रतिलिपि :- सचिव, चेम्बर ऑफ कार्मस, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध किया जाता है कि अपने स्तर से भी अन्य व्यापारी सगठन को इसकी जानकारी देंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला जनसर्पक पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिला के वेबसाईट में सूचना प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।
- प्रतिलिपि :- उपायुक्त प० सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सरकार के उप सचिव, स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 160 (16) स्वास्थ्य राँची दिनांक 19.10.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- खाद्य संरक्षा आयुक्त सह प्रधान सचिव, स्वा. चि. शि. एवं प. क. विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


अभिहित अधिकारी

—सह—

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
जिला परिवार कल्याण ब्यूरो,
प० सिंहभूम चाईबासा।